

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :- ग्रामीण 111/24

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

एयू स्मॉल फायनेंस बैंक लि.  
तीसरी मंजिल, सुन्दर विला,  
वोडाफोन स्टोर के उपर, रेजिडेसी  
रोड, जोधपुर जरिये प्राधिकृत  
अधिकारी श्री मोहन राम.

- सुरेश कुमार पुत्र बाबुलाल जैन  
महाजनों का वास, चान्दरख बावडी,  
ओसिया, जोधपुर ग्रामीण
- शान्तीलाल पुत्र बुधमल  
महाजनों का वास, चान्दरख बावडी,  
ओसिया, जोधपुर ग्रामीण
- जितेन्द्र कुमार पुत्र शान्तीलाल  
338, दर्शन सोसायटी, सामरोली,  
चिखली, नावेसरी, गुजरात

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन  
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक :- 05.12.2024

1-श्री चन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण  
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण सुरेश कुमार पुत्र  
बाबुलाल जैन व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा  
अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 20,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा  
पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण 1. जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र शान्तीलाल 2. सुरेश कुमार पुत्र बाबूलाल 3.  
शान्तीलाल पुत्र बुधमल की जायदाद 1. लीज होल्ड सम्पति पट्टा न. 05, बु न. 190185, ग्रा.प.  
चान्दरख प.स. ओसिया जिसका क्षेत्रफल 291.66 वर्ग गज जिसके उत्तर शान्तीलाल का प्लॉट, दक्षिण  
सुरेश कुमार का मकान, पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में आम रोड एवं अन्नराज का  
मकान 2. लीज होल्ड सम्पति पट्टा न. 03, बु न. 190185, ग्रा.प. चान्दरख प.स. ओसिया जिसका  
क्षेत्रफल 300.00 वर्ग गज जिसके उत्तर जितेन्द्र कुमार का प्लॉट, दक्षिण में भंवरलाल का मकान,

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में रास्ता एवं अन्नराज का मकान आया हुआ, 3. लीज होल्ड सम्पत्ति पट्टा न. 02, बु न. 190185, ग्रा.प. चान्दरख प.स. ओसिया जिसका क्षेत्रफल 309.77 वर्ग गज जिसके उत्तर रोड़ एवं श्री कुन्दनमल का मकान, दक्षिण में जितेन्द्र कुमार का मकान, पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में रास्ता एवं अन्नराज का मकान को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 13.05.2024 तक 17,63,077/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्मलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 20,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 13.05.2024 तक 17,63,077/- रूपये वसूल किये जाने हैं। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्चुराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शनऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्चुरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद 1. जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र शान्तीलाल 2. सुरेश कुमार पुत्र बाबूलाल 3. शान्तीलाल पुत्र बुधमल की जायदाद 1. लीज होल्ड सम्पत्ति पट्टा न. 05, बु न. 190185, ग्रा.प. चान्दरख प.स. ओसिया जिसका क्षेत्रफल 291.66 वर्ग गज जिसके उत्तर शांतीलाल का प्लॉट, दक्षिण में सुरेश कुमार का मकान, पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में आम रोड़ एवं अन्नराज का मकान 2. लीज होल्ड सम्पत्ति पट्टा न. 03, बु न. 190185, ग्रा.प. चान्दरख प.स. ओसिया जिसका क्षेत्रफल 300.00 वर्ग गज जिसके उत्तर जितेन्द्र कुमार का प्लॉट, दक्षिण में भंवरलाल का मकान, पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में रास्ता एवं अन्नराज का मकान आया हुआ, 3. लीज होल्ड सम्पत्ति पट्टा न. 02, बु न. 190185, ग्रा.प. चान्दरख प.स. ओसिया जिसका क्षेत्रफल 309.77 वर्ग गज जिसके उत्तर रोड़ एवं श्री कुन्दनमल का मकान, दक्षिण में जितेन्द्र कुमार का मकान, पूर्व में अम्बा लाल का मकान, पश्चिम में रास्ता एवं अन्नराज का मकान का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्मलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को सुनाया गया।



जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.